

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन, सुलभ के निर्माण की स्वीकृति स्वाभाविक सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदनके निगम पर सौंपा करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नकशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन क्रमांक 860 दिनांक 15/1/2021

एन.ए.  
आवासीय

प्रमाणित (1) दीपक माध्या एन (2) अमरी भारती  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No = 18/42/ आवासीय  
धारा 192 (7) (ग) के तहत आवासीय हाउसिंग बोर्ड  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6768/- जमा  
जारीये रसीद संख्या 9569/9559, 9560  
दिनांक 15/1/2021 को जमा करा दी है ।

दिनांक 15/1/2021

सहायक नगर निबंधक  
नगर निगम, जोधपुर

**दक्षिण**